8. राजकोषीय क्षेत्र सांख्यिकी

8.1. परिचय

'बजट' पद व्यापक रूप से उन वित्तीय प्रस्तावों को निर्दिष्ट करता है, जो वित्त मंत्री संसद के सदनों में या राज्य विधान मंडलों में, जैसी भी स्थिति हो, रखते हैं । भारत के संविधान में 'संसद के सदनों या राज्यों के विधान मंडलों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखे जाने' का हवाला दिया गया है । यह दस्तावेज आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और व्यय का विवरण होता है और सामान्यतः 'बजट' के रूप में जाना जाता है । इसमें पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आँकड़े होते हैं और चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान दिये गये होते हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बजट, केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और लोक ऋण संबंधी आँकड़ों का संकलन और प्रसार करता है । इन आँकड़ों पर आधारित अध्ययन नियमित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं ।

8.2. घाटा संकेतक

सामान्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक विविध घाटों/राजकोषीय संकेतकों के संबंध में संकलन के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण/पद्धति का अनुसरण करता है । वर्ष 2006-07 के बजट में अनुसरण की गयी पद्धति के ब्यौरे अनुबंध 8.1 में दिये गये हैं । राजकोषीय सांख्यिकी के संकलन में प्रयुक्त विविध घाटा संकेतकों की परिभाषा निम्नानुसार है : *राजस्व घाटा* का अर्थ होता है राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच का अंतर । परंपरागत घाटा (बजट घाटा) सभी आय और व्यय, राजस्व और पूँजीगत, दोनों, के बीच का अंतर होता है । सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) राजस्व प्राप्तियों (बाह्य अनुदानों सहित) और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों

की तुलना में कुल व्यय, जिसमें वसूली को घटाकर ऋण शामिल होते हैं, का अधिक होना होता है । 1999-2000 से जीएफडी में नयी लेखांकन प्रणाली के अनुसार लघु बचतों में राज्यों के हिस्से को शामिल नहीं किया जाता है । निवल राजकोषीय घाटा होता है केंद्र सरकार द्वारा दिये गये निवल ऋण को घटाते हुए सकल राजकोषीय घाटा । निवल प्राथमिक घाटा का अर्थ होता है निवल राजकोषीय घाटा घटाव निवल ब्याज भुगतान । प्राथमिक राजस्व शेष का अर्थ होता है राजस्व घाटा घटाव ब्याज का भुगतान । केंद्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण का द्योतक होता है (i) केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, (ii) खजाना बिलों, (iii) रुपया सिक्कों और (iv) 1 अप्रैल 1997 से केंद्र को आरबीआई के ऋण और अग्रिम में आरबीआई के धारणों में घट-बढ़ की रकम का, जिसका समायोजन केंद्र के मामले में आरबीआई के पास रखे केंद्र के नकदी शेष में परिवर्तनों के लिए किया जाना है । राज्य सरकारों के संबंध में निवल आरबीआई ऋण आरबीआई राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों में से आरबीआई के पास उनकी वृद्धिशील जमाराशियों को घटाते हुए, जो उन राज्य सरकारों के मामले में होता है, जिनके खाते आरबीआई में हैं, होने वाली घट-बढ़ को निर्दिष्ट करता है ।

8.3. संयुक्त वित्त

संयुक्त घाटा/राजकोषीय संकेतकों की परिभाषा देते समय भारतीय रिज़र्व बैंक मोटे तौर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अपने सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएफएस) मैनुअल में अंगीकृत दृष्टिकोण/पद्धति का अनुसरण करता है । राजकोषीय चर वस्तुओं की गणना केंद्र और राज्यों के लेनदेन के जोड़ में से अंतर-सरकार लेनदेनों को घटाते हुए की जाती है । अंतर-सरकार लेनदेन, यथा, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, राज्यों को अनुदान तथा राजस्व लेखा में राज्यों से ब्याज प्राप्तियाँ; राज्यों को ऋण एवं अग्रिम तथा पूँजीगत लेखा में राज्यों से ऋणों की वसूली, के संबंध में आँकड़े केंद्र सरकार के बजट दस्तावेज से लिये जाते हैं । संयुक्त जीएफडी केंद्र सरकार का जीएफडी और राज्य सरकारों का जीएफडी घटाव केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को दिया गया निवल ऋण (राज्यों से ऋण एवं अग्रिम घटाव राज्यों से ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) होता है । राजस्व घाटा केंद्र और राज्य सरकारों की राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच का अंतर होता है, जो राजस्व लेखा में अंतर-सरकार लेनदेनों के लिए समायोजित किया जाता है । सकल प्राथमिक घाटे की परिभाषा संयुक्त जीएफडी घटाव संयुक्त ब्याज भुगतान के रूप में दी जाती है । संयुक्त ब्याज भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों के ब्याज भुगतानों का जोड़ होता है, जिसमें से राज्य सरकारों द्वारा केंद्र को किया गया ब्याज भुगतान घटा दिया जाता है।

8.4. राज्य सरकार वित्त

वे सभी धन, जो राज्य के सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्य करने के दौरान उनके कब्जे में आते हैं और उनके द्वारा संवितरित किये जाते हैं, उनके द्वारा रखे गये प्राथमिक खातों में समुचित रूप में हिसाब में लिये जाने हैं और खाते किस प्ररूप में रखे जाने हैं, यह भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा निर्धारित किया गया है । वित्त विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष के दौरान वसूली जाने वाली अनुमानित आय और किये जाने वाले अनुमानित व्यय का एक विवरण तैयार करना होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) या बजट कहा जाता है, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 202 में अधिकथित है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत राज्यों के लेखे उस प्ररूप में रखे जाने हैं, जो सीएजी राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करे । इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीएजी ने मुख्य

और लघु लेखा शीर्षों की एक सूची निर्धारित की है, जिसमें राज्य सरकार के लेखों को रखा जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 266 और 267 के प्रावधानों के अनुसार सरकार के लेखे तीन मुख्य भागों में रखे जाने हैं - भाग I: राज्य की समेकित निधि, भाग II: राज्य की आकस्मिकता निधि और भाग III : राज्य का लोक लेखा। ये लेखे भी राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में दर्शाये जाते हैं।

सभी बजट मदों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यथा, राजस्व लेखा (राजस्व आय और राजस्व व्यय) और पूँजीगत लेखा (पूँजीगत प्राप्तियाँ और पूँजीगत संवितरण), जैसाकि अनुबंध 8.2 में दिया गया है । भारतीय रिज़र्व बैंक का आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग (राज्य एवं स्थानीय वित्त प्रभाग) एक वार्षिक अध्ययन 'राज्य वित्त - बजटों का एक अध्ययन' प्रकाशित करता है, जो राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित होता है । बजट मदों के और ब्यौरेवार वर्गीकरण के लिए इस अध्ययन को देखा जा सकता है।

दृष्टांत के रूप में अनुबंध 8.3 में उन व्याख्यात्मक टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जो महाराष्ट्र सरकार के बजट दस्तावेजों में दी गयी हैं ।

8.5. संसाधन अंतराल का मापन : अवधारणा और परिभाषा

सरकार के वित्त में संसाधन अंतराल को मापने के लिए कोई एक मानदंड नहीं है । इसलिए, किसी खास मापन के लिए पसंद प्रयोजन विशिष्ट होती है। भारतीय लोकवित्त के संदर्भ में संसाधन अंतराल का मापन करते समय परंपरागत दृष्टिकोण राजस्व लेखा अंतराल, पूँजीगत लेखा अंतराल और समग्र अंतराल पर विचार करता है। हाल ही में अनुसंधानकर्ताओं ने राज्य सरकारों के वित्त का विश्लेषण करते समय अक्सर सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का उल्लेख किया है; जीएफडी का एक परिवर्ती, यथा, प्राथमिक घाटा, जो सरकार के वित्त के चालू परिचालनों की जाँच करने के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टि से उपयोगी होता है, को भारतीय लोक वित्त में आरंभ किया गया है। घाटे (संसाधन अंतराल) के भिन्न-भिन्न मापनों का वर्णन नीचे किया गया है ।

(क) राजस्व घाटा (आरडी) का अर्थ होता है राजस्व आय और राजस्व व्यय के बीच का अंतर।

राजस्व लेखा अंतराल = राजस्व घाटा(आरडी) = राजस्व आय (आरआर) - राजस्व व्यय (आरई)

(ख) पूँजीगत घाटा का अर्थ होता है पूँजीगत प्राप्तियों और पूँजीगत संवितरण के बीच का अंतर।

पूँजीगत लेखा अंतराल = पूँजीगत लेखा घाटा(सीएडी) = पूँजीगत प्राप्ति (सीआर) - पूँजीगत संवितरण (सीडी)

(ग) परंपरागत घाटा (बजट घाटा या समग्र घाटा) सभी प्राप्तियों और सभी व्यय, राजस्व और पूँजीगत, दोनों, के बीच का अंतर होता है।

समग्र अंतराल = आरडी+सीएडी = (आरआर - आरई) + (सीआर - सीडी) = [(आरआर + सीआर) - (आरई+सीडी)]

(घ) सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) कर्ज चुकौती को घटाकर कुल संवितरण और ऋणों की वसूली तथा राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है।

सकल राजकोषीय घाटा(जीएफडी)

= आरई + [सीडी - (आंतरिक कर्ज का भुगतान (डीआइडी) + केंद्र को ऋण की चुकौती (आरएलसी) + ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली (आरएलए) - आरआर

= आरई + [पूँजीगत परिव्यय (सीओ) + राज्यों द्वारा ऋण एवं अग्रिम (एलएएस) + डीआइडी + आरएलसी - (डीआइडी + आरएलसी + आरएलए)] - आरआर

= (आरई - आरआर) + [सीओ + (एलएएस - आरएलए) + (डीआइडी - डीआइडी) + (आरएलसी- आरएलसी)]

= आरडी + सीओ + निवल उधार दी गयी राशि (एनएल)

(ङ) निवल राजकोषीय घाटा (एनएफडी) सकल राजकोषीय घाटा घटाव राज्य सरकारों द्वारा दिया गया निवल उधार होता है ।

निवल राजकोषीय घाटा (एनएफडी) = जीएफडी - (एलएएस - आरएलए)

(च) सकल प्राथमिक घाटा(जीपीडी) को जीएफडी घटाव ब्याज भुगतान के रूप में परिभाषित किया जाता है।

प्राथमिक घाटा (पीडी) = जीएफडी - ब्याज भुगतान (आइपी)

(छ) निवल प्राथमिक घाटा (एनपीडी) का अर्थ होता है निवल राजकोषीय घाटा (एनएफडी) घटाव निवल ब्याज भुगतान ।

निवल प्राथमिक घाटा (एनपीडी) = एनएफडी - [(आइपी - ब्याज प्राप्तियाँ (आइआर)]

(ज) प्राथमिक राजस्व शेष का अर्थ होता है राजस्व घाटा घटाव ब्याज भुगतान ।

प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) = आरडी - आइपी

(झ) निवल प्राथमिक राजस्व शेष का अर्थ होता है राजस्व घाटा घटाव निवल ब्याज भुगतान

निवल प्राथमिक राजस्व शेष (एनपीआरबी) = आरडी - (आइपी - आइआर)